आयकर आयुक्त, दिल्ली-1

बनाम

मैसर्स कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(2012 की सिविल अपील संख्या 8900)

अप्रैल 24, 2018

[आर के. अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, जे.जे.]

आयकर अधिनियम, 1961 - धारा 80-आईए - अंतर्देशीय कंटेनर डिपो से अर्जित लाभ पर धारा 80-आईए के तहत कटौती - आयोजित: आईसीडी अंतर्देशीय बंदरगाह हैं और धारा 80-आईए के प्रावधानों के अधीन हैं - कटौती इन डिपो से अर्जित आय के लिए दावा किया जा सकता है - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 - धारा 2(12), 7(1)(एए)।

न्यायालय ने अपीलों का निस्तारण करते हुए

आयोजित: 1. अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) उन औद्योगिक केंद्रों में स्थित निर्यातकों और आयातकों के लाभ के लिए कार्य करते हैं जो समुद्री बंदरगाहों से दूरी पर स्थित हैं। इन्हें शुरू करने का उद्देश्य देश में निर्यात और आयात को बढ़ावा देना था क्योंकि ये डिपो एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं और उस व्यक्ति की असुविधा को कम करते हैं जो निर्यात या आयात करना चाहता है लेकिन उसका व्यवसाय भूमि से घिरे क्षेत्र में स्थित है यानी दूर। ये ए। ये डिपो आयात और निर्यात में असुविधा को इस अर्थ में कम करते हैं कि यह उन बाधाओं को कम करता है जो समुद्री बंदरगाहों पर की जाने वाली हैंडलिंग और सीमा शुल्क औपचारिकताओं से उत्पन्न होती हैं, जो केवल इन डिपो पर ही करने की अनुमति देती हैं। उनके निकट. आईसीडी शब्द 1983 में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2 (12) के तहत डाला गया था जो 'सीमा शुल्क बंदरगाह' को परिभाषित करता है और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 (1) (एए) के प्रावधानों द्वारा शक्ति दी गई है केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) यह अधिसूचित

करेगा कि आयातित माल की अनलोडिंग और निर्यात माल की लोडिंग के लिए किस स्थान को आईसीडी माना जाएगा। [पैरा 10]

2. देश के बुनियादी ढांचे और विशेष रूप से परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, वित्त अधिनियम, 1995 जो 01.04.1996 से लागू हुआ, आईटी अधिनियम की धारा 80-आईए के प्रावधानों में संशोधन लाया गया। आईटी अधिनियम की धारा 80-आईए औद्योगिक उपक्रमों या बुनियादी ढांचे के विकास में लगे उद्यमों आदि से लाभ और लाभ के संबंध में कटौती के बारे में बात करती है। उक्त संशोधन में पहली बार एक प्रावधान लाया गया जिसके तहत परिचालन से प्राप्त मुनाफे का एक प्रतिशत निर्धारिती की आय की गणना करते समय बुनियादी ढांचे की सुविधा में कटौती की अनुमति दी गई थी। धारा के प्रावधानों के अनुसार उद्यमों को दस साल की कर रियायत की अनुमति दी गई है, जो उसमें दी गई शर्तों को पूरा करने के अधीन है, जो सड़कों, राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, पुलों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और रेल जैसी किसी भी नई बुनियादी ढांचा सुविधा का विकास, रखरखाव और संचालन करती है। प्रणाली या अधिसूचित समान प्रकृति की कोई अन्य सार्वजनिक सुविधा। धारा 80 आईए (12) (ए) बोर्ड को कुछ अन्य उद्यमों को सूचित करने की शक्ति देती है जो आईटी अधिनियम की धारा 80-आईए का लाभ उठा सकते हैं, जो किसी भी निर्दिष्ट श्रेणी में नहीं आते हैं लेकिन गतिविधियों को अंजाम देते हैं। समान स्वभाव. इसके अलावा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने धारा 80-आईए(12)(सीए) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या एसओ744(ई) दिनांक 01.09.1998 के माध्यम से आईसीडी और सीएफएस को बुनियादी ढांचा सुविधा के रूप में अधिसूचित किया। उपरोक्त के अलावा, वित्त अधिनियम, 1998, जो 01.04.1999 को लागू हुआ, ने 'बुनियादी ढांचा सुविधा' की परिभाषा में बदलाव किया जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है। बुनियादी सुविधाओं की परिभाषा में 'अंतर्देशीय जलमार्ग और अंतर्देशीय बंदरगाह' शब्द जोड़े गए। वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा एक उल्लेखनीय परिवर्तन लाया गया, जो 01.04.2002 से लागू हुआ, इस शर्त में कि बोर्ड की शक्ति एक अधिसूचना जारी करके समान प्रकृति की किसी भी बुनियादी सुविधा सुविधा के लिए उक्त प्रावधानों का लाभ बढ़ाने की है। ले जाया गया. आईटी अधिनियम की धारा 80-आईए(4) की नई व्याख्या, जैसा कि वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित

किया गया है। उक्त संशोधन बोर्ड द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचनाओं पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव के संबंध में मौन है। इसकी शक्ति. यदि विधायिका की यह मंशा होती कि बोर्ड द्वारा पहले जारी की गई अधिसूचनाएं 2002-03 के बाद प्रभावी नहीं होंगी, तो उसे उक्त संशोधन में जगह मिल गई होती। इसके अभाव में, बोर्ड को प्रदत्त शक्ति के वैध प्रयोग में जारी की गई अधिसूचनाएं मूल्यांकन वर्ष 2002-03 के बाद प्रभावी नहीं होंगी। [पैरा 11, 13, 15, 16, 18] [614-बी-डी; 615-ए-सी, डी-ई; 616-ए-सी]

3. प्रतिवादी को वित्त अधिनियम, 2001 से बहुत पहले आईटी अधिनियम की धारा 80IA के लाभ का हकदार माना गया है, जो 01.04.2002 को लागू हुआ और 10 साल की अवधि के लिए छूट को किसी भी बाद के संशोधन द्वारा कम या अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अवधि के तहत पात्रता शर्तों के संबंध में संशोधन किया गया है या विशिष्ट प्रावधान किया गया है कि 01.04.2002 के बाद से लाभ का दावा केवल मौजूदा पात्र इकाइयों द्वारा किया जाएगा यदि वे नई शर्तों को पूरा करते हैं। [पैरा 20] [616-एफ-जी]

4. अब मुद्दा यह है कि क्या आईसीडी को अंतर्देशीय बंदरगाह कहा जा सकता है ताकि आईटी अधिनियम की धारा 80-आईए के तहत कटौती का अधिकार मिल सके। व्यावसायिक दृष्टि से बंदरगाह वह स्थान है जहां जहाज़ों को सामान चढ़ाने और उतारने की आदत होती है। धारा 80-आईए(4) से जुड़े स्पष्टीकरण में प्रयुक्त 'बंदरगाह' शब्द का समुद्री अर्थ प्रतीत होता है, शायद यही कारण है कि स्पष्टीकरण में हवाईअड्डा शब्द अलग से पाया जाता है। आईसीडी में किए जाने वाले कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उन्हें बंदरगाह नहीं कहा जा सकता है। हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बंदरगाहों पर की जाने वाली गतिविधियों का एक हिस्सा जैसे कि कस्टम क्लीयरेंस भी इन आईसीडी पर किया जाता है, प्रतिवादी के दावे को 'अंतर्देशीय बंदरगाह' शब्द के भीतर माना जा सकता है जैसा कि इसमें उपयोग किया जाता है। स्पष्टीकरण। 'अंतर्देशीय कंटेनर डिपो' शब्द को पहली बार 'सीमा शुल्क बंदरगाह' की परिभाषा में पेश किया गया था, जैसा कि 13.05.1983 से वित्त अधिनियम, 1983 में किए गए संशोधन के माध्यम से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2 (12) में दिया गया है। [पैरा 21] [617-ए-सी]

5. 'अंतर्देशीय बंदरगाह' शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा दिनांक 24.04.2007 को जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि इन आईसीडी पर किए गए कार्य की प्रकृति को देखते हुए उन्हें अंतर्देशीय बंदरगाह कहा जा सकता है। इसके अलावा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी दिनांक 25.05.2009 का संचार यह पुष्टि करता है कि आईसीडी अंतर्देशीय बंदरगाह हैं, प्रतिवादी के दावे को मजबूत करता है। यद्यपि अधिसूचना और संचार दोनों सीबीडीटी पर यह तय करने के लिए बाध्यकारी नहीं हैं कि क्या आईसीडी को आईटी अधिनियम की धारा 80-आईए के अर्थ के तहत अंतर्देशीय बंदरगाह कहा जा सकता है, लेकिन अपीलकर्ता इस बारे में कोई उचित स्पष्टीकरण देने में असमर्थ है कि ये अधिसूचनाएं और क्यों आईसीडी को अंतर्देशीय बंदरगाहों के रूप में रखने के लिए संचार पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। जब तक अन्यथा न दिखाया जाए, यह नहीं माना जा सकता कि आईटी अधिनियम की धारा 80-आईए के तहत 'अंतर्देशीय बंदरगाह' शब् का अलग-अलग उपयोग किया जाता है। आईसीडी अंतर्देशीय बंदरगाह हैं और धारा के प्रावधानों के अधीन हैं और इन डिपो से अर्जित आय के लिए कटौती का दावा किया जा सकता है। हालाँकि, वास्तविक गणना विभिन्न स्थानों पर स्थित विभिन्न आईसीडी के संबंध में सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के अनुसार की जानी है। [पैरा 22] [617-डी-जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2012 की सिविल अपील संख्या 8900

2009 के आईटीए संख्या 1411, 2011 के आईटीए संख्या 967 और 968 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 11.05.2012 से

के साथ

2012 का सीए नंबर 8901, 2014 का सीए नंबर 4409, 2015 का सीए नंबर 4983 और 8546, सीए नंबर 66, 6411, 8034, 6982, 6635, 9651, 7211, 7210, 7209, 8 033, 8032, 10336, 8755, 9158, 9157, 8352, 9159, 10307, 9744, 9743, 10308, 10662, 11709 2017, सी.ए. नंबर 1441, 4458, 4459, 5571, 5573, 6800, 11075, 9364, 9487, 9277, 10236, 14900, 16162, 11202, 15028, 11117, 15033, 11160, 1 5494,

15497, 17315, 17534, 17317, 17318, 2017 का 18272, 19491, 19535, 19935, 2018 का सी.ए. नंबर 4487, 4543, 4484, 4493-4494, 4499, 4548, 4547, 4655 और 4645।

के. राधाकृष्णन, राकेश द्विवेदी, एस. चिदानंद, सुश्री साधना संधू, सुश्री गार्गी खन्ना, सुश्री निरंजना सिंह, श्रीमती अनिल कटियार, कौशिक पोद्दार, सुश्री ईशा सिंह, सुश्री स्नेहिल सोनम, प्रीतेश कपूर, संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, सुश्री शुभ्रा कपूर , आई. पी. बंसल, विवेक बंसल, अनीश मित्तल, सिद्दार्थ भटनागर, देबमाल्य बनर्जी, कार्तिक भटनागर, मनीष शर्मा, ए.एस. अमन, मैसर्स. करंजावाला एंड कंपनी, प्रवीण स्वरूप, डॉ. राकेश गुप्ता, सुश्री मोनिका घई, श्रीमती श्यामलिमा बोरा, अम्भोज कुमार सिन्हा, सलिल अग्रवाल, भार्गव वी. देसाई, अक्षत मालपानी, रामेश्वर प्रसाद गोयल, वी. रामसुब्रमण्यम, ए. लक्ष्मीनारायणन, सनी चौधरी, डॉ. शाश्वत बाजपेयी, शरद अग्रवाल, निपुण शर्मा, एस. कृष्णन, विकास चंद्रा, इंद्र मोहन सिंह, श्रीमती रानी छाबड़ा, के. गांधी, सुश्री सृष्टि सिंह, राजीव, विजय कुमार, फरमान अली, रवि प्रकाश, राहील कोहली, मैसर्स डी.एस.के. लीगल, रंजीत बी. राऊत, सुश्री सुरभि कपूर, श्रीमती बीना गुप्ता, निनाद लाउड, करण माथुर, अंजुमन त्रिपाठी, इवो डी'कोस्टा, जयंत मोहन, एस. वासुदेवन, महेंद्र सिंह, सौरभ सूद, आदित्य भट्टाचार्य, विक्टर दास, पुनित दत्त त्यागी, एस. वासुदेवन, ध्रुव मेहता, सुश्री नूपुर माहेश्वरी, एम. पी. देवनाथ, सुश्री कविता झा, वैभव कुलकर्णी, प्रवीण स्वरूप, सुश्री अर्चना पाठक दवे, सुश्री अंकिता चौधरी, सलाहकार। उपस्थित पक्षों के लिए.

न्यायालय का निर्णय **आर.के. अग्रवाल, जे**. द्वारा सुनाया गया।

1.छुट्टी स्वीकृत.

2.वर्तमान अपील दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2009 के आईटीए संख्या 1411, 2011 के आईटीए संख्या 967 और 968 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 11.05.2012 के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अनुमति देते हुए प्रतिवादी द्वारा दायर उपरोक्त अपीलों में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित दिनांक 27.02.2009 के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि प्रतिवादी आय

की धारा 80-आईए के लाभ का दावा करने का हकदार है। कर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'आईटी अधिनियम')।

3.संक्षिप्त तथ्य:

(ए) मेसर्स कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकॉर) - यहां प्रतिवादी एक सरकारी कंपनी है और कंटेनरीकृत कार्गो के प्रबंधन और परिवहन के व्यवसाय में लगी हुई है और रेल मंत्रालय के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में है। इसकी परिचालन गतिविधियां मुख्य रूप से पूरे देश में फैले इसके अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) और पोर्ट साइड कंटेनर टर्मिनल (पीएससीटी) पर की जाती हैं।

(बी) वर्तमान मामले में मुद्दा निर्धारण वर्ष 2003-04 से 2005-06 से संबंधित है। प्रतिवादी ने इन सभी वर्षों के लिए आय पर रिटर्न दाखिल किया और आईटी अधिनियम की धारा 80-आईए के तहत कटौती सहित विभिन्न प्रमुखों के तहत कटौती का दावा किया। यह मुद्दा अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) और रोलिंग स्टॉक से अर्जित मुनाफे पर धारा 80-आईए के तहत दावा की गई कटौती के संबंध में है। आईसीडी से अर्जित लाभ पर कटौती और रोलिंग स्टॉक के कारण कटौती के दावे को निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 28.02.2006 के मूल्यांकन आदेश के तहत खारिज कर दिया है।

(सी) प्रतिवादी ने, उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, आयकर आयुक्त (अपील)-VI, नई दिल्ली को अपील संख्या 325/05-06 दायर की। विद्वान सीआईटी (अपील) ने दिनांक 29.05.2007 के आदेश के तहत आईटी अधिनियम की धारा 80-आईए के तहत दावा की गई कटौती को खारिज करते हुए आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी। व्यथित होकर, प्रतिवादी ने ट्रिब्यूनल के समक्ष आईटीए संख्या 2851 और 3680/डीईएल./2007, 2753 और 4477/डीईएल/2007 को प्राथमिकता दी। ट्रिब्यूनल ने, दिनांक 27.02.2009 के आदेश द्वारा, आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी और माना कि धारा 80-आईए के तहत कटौती का दावा कंपनी के रोलिंग स्टॉक के संबंध में किया जा सकता है, लेकिन आईसीडी के संबंध में नहीं।

(डी) दिनांक 27.02.2009 के आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने 2011 की संख्या 967, 2009 की 1411 और 2011 की 968 नामक तीन आयकर अपीलें दायर करके इसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। उच्च की डिवीजन बेंच

न्यायालय ने दिनांक 11.05.2012 के फैसले और आदेश के तहत अपील की अनुमति दी और माना कि प्रतिवादी आईटी अधिनियम की धारा 80-आईए के तहत विचाराधीन प्रासंगिक अवधि के लिए आईसीडी से अर्जित आय पर कटौती का दावा करने का हकदार है। दिनांक 11.05.2012 के निर्णय एवं आदेश से व्यथित होकर, राजस्व ने इस न्यायालय के समक्ष यह अपील दायर की है।

4.पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना और मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स का अवलोकन किया।

विचारणीय बिन्दु:-

5.इस न्यायालय के समक्ष विचार करने का एकमात्र बिंदु यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, संबंधित अवधि के दौरान प्रतिवादी के नियंत्रण में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) धारा 80-आईए (4) के तहत कटौती के लिए योग्य हैं। आईटी एक्ट का या नहीं.

प्रतिद्वंद्वी विवाद:-

6.अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय यह मानने में सही नहीं था कि प्रतिवादी आईटी अधिनियम की धारा 80-आईए के तहत कटौती का हकदार है क्योंकि निर्धारिती द्वारा की गई गतिविधियों को स्पष्टीकरण के अंतर्गत नहीं कहा जा सकता है। डी) धारा 80-आईए(4) बुनियादी ढांचा सुविधा शब्द को परिभाषित करती है।

7.विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01.09.1998 पर भरोसा करने में उच्च न्यायालय गलत था कि प्रतिवादी को धारा 80-आईए के तहत कटौती का दावा करने की अनुमति है। उक्त बोर्ड की शक्ति के रूप में आईटी अधिनियम को 01.04.2002 से वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा छीन लिया गया था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि उपरोक्त संशोधन के मद्देनजर, आईसीडी को बुनियादी सुविधा के रूप में मानने के संबंध में सीबीडीटी द्वारा जारी अधिसूचनाएं केवल आकलन वर्ष 2002-03 तक लागू थीं।

8.विद्वान वरिष्ठ वकील ने अंततः तर्क दिया कि आईसीडी को धारा 80-आईए(4) के अर्थ में बंदरगाह या अंतर्देशीय बंदरगाह नहीं कहा जा सकता है, ताकि उन्हें उक्त धारा के तहत कटौती का दावा करने की अनुमति मिल सके और उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय गलत है। कानून की नजर में है और खारिज किये जाने योग्य है।

9.इसके विपरीत, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल द्वारा पारित दिनांक 27.02.2009 के फैसले और आदेश को सही ढंग से रद्द कर दिया है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि एक बार आईसीडी को सीबीडीटी द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों के आधार पर वैध रूप से अधिसूचित कर दिया गया है, यह तथ्य कि बाद के समय में शक्ति छीन ली गई थी, वैधता या प्रभाव को समाप्त नहीं करता है। अधिसूचना के अनुसार और अधिसूचना जारी होने के समय प्रासंगिक धारा के अनुसार, प्रतिवादी 10 लगातार मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए कटौती के लिए पात्र था, जिसमें मूल्यांकन वर्ष 2003-04 से 2005-06 शामिल हैं जो कि हैं अपील के अधीन वर्ष। विद्वान वरिष्ठ वकील ने अंततः तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

बहस:

10.चूंकि विवाद का पूरा मुद्दा आईसीडी के इर्द-गिर्द घूमता है, इसलिए इसके बारे में समझ बनाना उचित होगा। आईसीडी उन औद्योगिक केंद्रों में स्थित निर्यातकों और आयातकों के लाभ के लिए कार्य करते हैं जो समुद्री बंदरगाहों से दूरी पर स्थित हैं। इन्हें शुरू करने का उद्देश्य देश में निर्यात और आयात को बढ़ावा देना था क्योंकि ये डिपो एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं और उस व्यक्ति की असुविधा को कम करते हैं जो निर्यात या आयात करना चाहता है लेकिन उसका व्यवसाय भूमि से घिरे क्षेत्र में स्थित है यानी दूर। ये ए। ये डिपो आयात और निर्यात में असुविधा को इस अर्थ में कम करते हैं कि यह उन बाधाओं को कम करता है जो समुद्री बंदरगाहों पर की जाने वाली हैंडलिंग और सीमा शुल्क औपचारिकताओं से उत्पन्न होती हैं, जो केवल इन डिपो पर ही करने की अनुमति देती हैं। उनके निकट. आईसीडी शब्द 1983 में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2 (12) के तहत डाला गया था जो 'सीमा शुल्क बंदरगाह' को परिभाषित

करता है और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 (1) (एए) के प्रावधानों द्वारा शक्ति दी गई है केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह अधिसूचित करेगा कि आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लोडिंग के लिए अकेले किस स्थान को अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

11. देश के बुनियादी ढांचे और विशेष रूप से परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, वित्त अधिनियम, 1995, जो 01.04.1996 से लागू हुआ, आईटी अधिनियम की धारा 80-आईए के प्रावधानों में संशोधन लाया गया। आईटी अधिनियम की धारा 80-आईए औद्योगिक उपक्रमों या बुनियादी ढांचे के विकास में लगे उद्यमों आदि से लाभ और लाभ के संबंध में कटौती के बारे में बात करती है। उक्त संशोधन में पहली बार एक प्रावधान लाया गया जिसके तहत परिचालन से प्राप्त मुनाफे का एक प्रतिशत निर्धारिती की आय की गणना करते समय बुनियादी ढांचे की सुविधा में कटौती की अनुमति दी गई थी। धारा के प्रावधानों के अनुसार उद्यमों को दस साल की कर रियायत की अनुमति दी गई है, जो उसमें दी गई शर्तों को पूरा करने के अधीन है, जो सड़कों, राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, पुलों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और रेल जैसी किसी भी नई बुनियादी ढांचा सुविधा का विकास, रखरखाव और संचालन करती है। प्रणाली या अधिसूचित समान प्रकृति की कोई अन्य सार्वजनिक सुविधा।

12. धारा 80IA का प्रासंगिक भाग (जैसा कि तब था) इस प्रकार है:

"धारा 80-आईए(4ए): यह धारा इस पर लागू होती है:-

किसी भी बुनियादी ढांचे की सुविधा के विकास, रखरखाव और संचालन का व्यवसाय करने वाला कोई भी उद्यम जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, जैसे:

धारा 80-आईए(5) खंड(आईए): उप-धारा (4ए) में निर्दिष्ट उद्यम के मामले में, प्रारंभिक पांच मूल्यांकन वर्षों के लिए ऐसे व्यवसाय से प्राप्त लाभ और लाभ का सौ प्रतिशत और उसके बाद ऐसे मुनाफे का तीस प्रतिशत और लाभ।"

13.अवसंरचना सुविधा शब्द को भी परिभाषित किया गया था जो प्रासंगिक समय पर इस प्रकार था: -

"धारा 80-आईए(12)(सीए): बुनियादी ढांचे की सुविधा का अर्थ है: - एक सड़क, राजमार्ग, पुल, हवाई अड्डा, बंदरगाह या रेल प्रणाली या समान प्रकृति की कोई अन्य सार्वजनिक सुविधा जैसा कि बोर्ड द्वारा इस संबंध में आधिकारिक तौर पर राजपत्र में अधिसूचित किया जा सकता है।

उक्त प्रावधान बोर्ड को कुछ अन्य उद्यमों को सूचित करने की शक्ति देता है जो आईटी अधिनियम की धारा 80-आईए का लाभ उठा सकते हैं, जो किसी भी निर्दिष्ट श्रेणी में नहीं आते हैं लेकिन समान प्रकृति की गतिविधियां करते हैं।

14.इसके अलावा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने धारा 80-आईए(12)(सीए) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या एसओ744(ई) दिनांक 01.09.1998 के माध्यम से आईसीडी और सीएफएस को बुनियादी ढांचा सुविधा के रूप में अधिसूचित किया।

15.उपरोक्त के अलावा, वित्त अधिनियम, 1998, जो 01.04.1999 को लागू हुआ, ने 'बुनियादी ढांचा सुविधा' की परिभाषा में बदलाव किया जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है। बुनियादी सुविधाओं की परिभाषा में 'अंतर्देशीय जलमार्ग और अंतर्देशीय बंदरगाह' शब्द जोड़े गए। अब, परिभाषा इस प्रकार है:

"बुनियादी ढांचे की सुविधा का अर्थ है सड़क, पुल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, अंतर्देशीय जलमार्ग और अंतर्देशीय बंदरगाह, समान प्रकृति की किसी भी अन्य सार्वजनिक सुविधा द्वारा रेल प्रणाली, जैसा कि बोर्ड द्वारा आधिकारिक राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचित किया जा सकता है।"

16. वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा एक उल्लेखनीय परिवर्तन लाया गया, जो 01.04.2002 से लागू हुआ, इन शर्तों में कि बोर्ड को उक्त प्रावधानों का लाभ जारी करके समान प्रकृति की किसी भी बुनियादी सुविधा सुविधा तक बढ़ाने की शक्ति है। एक अधिसूचना हटा ली गई. वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित आईटी अधिनियम की धारा 80-आईए(4) की नई व्याख्या इस प्रकार है:

इस खंड के प्रयोजन के लिए "बुनियादी ढांचे की सुविधा" का अर्थ है-
(ए) टोल रोड, पुल या रेल प्रणाली सहित एक सड़क;
(बी) आवास या अन्य गतिविधियों सहित एक राजमार्ग परियोजना
राजमार्ग परियोजना का एक अभिन्न अंग;

(सी) एक जल आपूर्ति परियोजना, जल उपचार प्रणाली, सिंचाई परियोजना, स्वच्छता और सीवरेज प्रणाली या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली;

(डी) एक बंदरगाह, हवाई अड्डा, अंतर्देशीय जलमार्ग या अंतर्देशीय बंदरगाह;

17.अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने सीबीडीटी द्वारा जारी अधिसूचना पर भरोसा करके गलती की कि आईसीडी रखने वाले उद्यमों को आईटी अधिनियम की धारा 80-आईए के तहत कटौती का दावा करने की अनुमति है। चूंकि बोर्ड की उक्त शक्ति विशेष रूप से वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा किए गए संशोधन द्वारा छीन ली गई थी, उक्त संशोधन के आलोक में, सीबीडीटी द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं मूल्यांकन वर्ष 2002-03 के बाद संचालित नहीं होंगी।

18. अपीलकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दिए गए तर्क में अधिक बल नहीं है क्योंकि उक्त संशोधन बोर्ड द्वारा अपनी शक्ति के उचित प्रयोग में पहले जारी अधिसूचनाओं पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव के संबंध में मौन है। यदि विधायिका की यह मंशा होती कि बोर्ड द्वारा पहले जारी की गई अधिसूचनाएं 2002-03 के बाद प्रभावी नहीं होंगी, तो उसे उक्त संशोधन में जगह मिल गई होती। इसके अभाव में, हम विद्वान वरिष्ठ वकील से सहमत होने में असमर्थ हैं कि बोर्ड को प्रदत्त शक्ति के वैध अभ्यास में जारी की गई अधिसूचनाएं मूल्यांकन वर्ष 2002-03 के बाद प्रभावी नहीं होंगी।

19.अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने आईसीडी को अंतर्देशीय बंदरगाहों के रूप में रखने में गंभीर त्रुटि की है। आगे यह तर्क दिया गया कि आईटी अधिनियम की योजना के तहत आईसीडी को कभी भी 'अंतर्देशीय बंदरगाह' की श्रेणी में नहीं समझा जाता है। इस तर्क के समर्थन में तर्क यह है कि यदि 'इनलैंड पोर्ट' शब्द, जैसा कि 'बुनियादी ढांचे की सुविधा' को परिभाषित करने वाले आईटी अधिनियम की धारा 80-आईए (4) से जुड़े स्पष्टीकरण में इस्तेमाल किया गया है, में आईसीडी शामिल है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। सीबीडीटी को उक्त धारा के तहत दी गई अपनी शक्ति का अलग से उपयोग करने के लिए, जैसा कि तब था, इसे बुनियादी ढांचे की सुविधा के रूप में

अधिसूचित करने के लिए। हालाँकि, इसके पीछे यह तर्क ज्यादा मायने नहीं रखता है क्योंकि सीबीडीटी द्वारा जारी अधिसूचना 01.09.1998 को लागू हुई थी, यानी वह समय जब 'अंतर्देशीय बंदरगाह' शब्द अपने आप में संलग्न स्पष्टीकरण के प्रावधानों में नहीं डाला गया था। आईटी अधिनियम की धारा 80- आईए (4) 'बुनियादी ढांचा सुविधा' शब्द को परिभाषित करती है। इसे वित्त अधिनियम, 1998 के माध्यम से डाला गया था जो 01.04.1999 से लागू हुआ। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना और इस तथ्य में कोई विरोधाभास नहीं है कि आईसीडी अंतर्देशीय बंदरगाह हैं या नहीं।

20. इसके अलावा, हमने पाया कि प्रतिवादी को वित्त अधिनियम, 2001 से बहुत पहले आईटी अधिनियम की धारा 80IA के लाभ का हकदार माना गया है, जो 01.04.2002 को लागू हुआ और 10 साल की अवधि के लिए छूट को कम या अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अवधि के तहत पात्रता शर्तों के संबंध में किसी भी बाद के संशोधन को संशोधित किया जाता है या विशिष्ट प्रावधान किया जाता है कि 01.04.2002 के बाद से लाभ का दावा केवल मौजूदा पात्र इकाइयों द्वारा किया जाएगा यदि वे नई शर्तों को पूरा करते हैं।

21. इस मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए कि क्या आईसीडी को अंतर्देशीय बंदरगाह कहा जा सकता है ताकि आईटी अधिनियम की धारा 80-आईए के तहत कटौती का अधिकार हो सके। व्यावसायिक दृष्टि से बंदरगाह वह स्थान है जहां जहाज़ों को सामान चढ़ाने और उतारने की आदत होती है। धारा 80-आईए(4) से जुड़े स्पष्टीकरण में प्रयुक्त 'बंदरगाह' शब्द का समुद्री अर्थ प्रतीत होता है, शायद यही कारण है कि स्पष्टीकरण में हवाईअड्डा शब्द अलग से पाया जाता है। आईसीडी में किए जाने वाले कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उन्हें बंदरगाह नहीं कहा जा सकता है। हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बंदरगाहों पर की जाने वाली गतिविधियों का एक हिस्सा जैसे कि कस्टम क्लीयरेंस भी इन आईसीडी पर किया जाता है, प्रतिवादी के दावे को 'अंतर्देशीय बंदरगाह' शब्द के भीतर माना जा सकता है जैसा कि इसमें उपयोग किया जाता है। स्पष्टीकरण। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 'अंतर्देशीय कंटेनर डिपो' शब्द को पहली बार 'सीमा शुल्क बंदरगाह' की परिभाषा में पेश किया गया था, जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा

2 (12) में वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा किए गए संशोधन के माध्यम से दिया गया है। 13.05.1983 से प्रभावी।

22. 'अंतर्देशीय बंदरगाह' शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा दिनांक 24.04.2007 को जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि इन आईसीडी पर किए गए कार्य की प्रकृति को देखते हुए उन्हें अंतर्देशीय बंदरगाह कहा जा सकता है। इसके अलावा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी दिनांक 25.05.2009 का संचार यह पुष्टि करता है कि आईसीडी अंतर्देशीय बंदरगाह हैं, यहां प्रतिवादी के दावे को मजबूत करता है। यद्यपि अधिसूचना और संचार दोनों सीबीडीटी पर यह तय करने के लिए बाध्यकारी नहीं हैं कि क्या आईसीडी को आईटी अधिनियम की धारा 80-आईए के अर्थ के तहत अंतर्देशीय बंदरगाह कहा जा सकता है, अपीलकर्ता यहां कोई उचित स्पष्टीकरण देने में असमर्थ है कि ये अधिसूचनाएं क्यों हैं और आईसीडी को अंतर्देशीय बंदरगाहों के रूप में रखने के लिए संचार पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। जब तक अन्यथा न दिखाया जाए, यह नहीं माना जा सकता कि आईटी अधिनियम की धारा 80-आईए के तहत 'अंतर्देशीय बंदरगाह' शब्द का अलग-अलग उपयोग किया जाता है। इन सभी तथ्यों को मिलाकर बिना किसी संदेह के स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि आईसीडी अंतर्देशीय बंदरगाह हैं और धारा के प्रावधानों के अधीन हैं और इन डिपो से अर्जित आय के लिए कटौती का दावा किया जा सकता है। हालाँकि, वास्तविक गणना विभिन्न स्थानों पर स्थित विभिन्न आईसीडी के संबंध में सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के अनुसार की जानी है।

23. मौजूदा चर्चा के आलोक में, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के फैसले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इसलिए, तदनुसार अपील खारिज की जाती है। सभी संबंधित अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है। पार्टियों को लागत स्वयं वहन करनी होगी।

देविका गुजराल अपीलें निस्तारित।

आशीष तिवारी की देखरेख में मानसी मिश्रा द्वारा अनुवादित।